PSB Accessibility Leveraging Large Interface Across Nation with Convenience & Ease

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

निवासी व्यक्तियों हेतु खाता खोलने का फॉर्म (भाग-I)

(नियम व शर्तों को अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए)

ग्राहक सूचना शीट (सी.आई.एफ. सृजन / संशोधन)

दिनांक D D M M Y Y Y Y

बैंक या शाखा के नाम और कोड वाली रबर की मोहर लगाएँ।

(संयुक्त खातों के मामलों में, भाग-1 (सी.आइ.एफ शीट) एवं नियमों और शर्तों को प्रत्येक ग्राहक से लिया जाए)

शाखा का नाम ☐ शाखा कोड ☐

तारांकित चिन्ह (*) से चिन्हित सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का प्रयोग करें.

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

ग्राहक आईडी ☐ आवेदन का प्रकार ☐ नया ☐ अद्यतन

ग्राहक खाता संख्या ☐ सीकेवाईसी सं. ☐

(सीकेवाईसी अद्यतन अनुरोध हेतु अनिवार्य है।)

खाता का प्रकार ☐ साधारण ☐ लघु ☐ अवयस्क ☐ स्टाफ ☐ पीएफ क्र. ☐

क) व्यक्तिगत विवरण

1. नाम*: (आइडी प्रूफ के अनुसार) FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

2. विवाह-पूर्व नाम FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

3. जन्मतिथि*: D D M M Y Y Y Y 4. लिंग *: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ थर्ड जेंडर

5. वैवाहिक स्थिति ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ एकल ☐ तलाक़शुदा ☐ लिविंग अपार्ट ☐ डिफैक्टो

6. नाम ☐ पिता ☐ माता ☐ पति/पत्नी

FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
(यदि पैन नहीं दिया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है)

FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
(माता का नाम)

FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
(पति/पत्नी का नाम)

7. आश्रितों की संख्या ☐ 8. निरक्षर ☐ ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ; पहचान चिन्ह ☐

9. अभिभावक का नाम FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

(अवयस्क के मामले में *) अभिभावक से संबंध ☐

10. राष्ट्रीयता : ☐ भारतीय ☐ अन्य देश का नाम ☐ 11. नागरिकता ☐

12. व्यवसाय का प्रकार सेवा ☐ राज्य सरकार ☐ केंद्र सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ☐ रक्षा ☐ निजी क्षेत्र

कारोबार ☐ उद्योगपति ☐ व्यापार क्षेत्र ☐ सेवा क्षेत्र ☐ प्रवासी श्रमिक ☐ ठेकेदार ☐ जैलर/बुलियन ट्रेडर ☐ पॉन शॉप

☐ आयात/निर्यात ग्राहक ☐ अन्य स्वरोजगार

अन्य ☐ चिकित्सीय पेशेवर ☐ विधिक पेशेवर ☐ सीए/आईसीडब्ल्यूए/कराधान/वित्त ☐ इंजीनियर/आर्किटेक्ट/तकनीकी सलाहकार ☐ सेवानिवृत्त

☐ पत्रकार ☐ गृहिणी ☐ विद्यार्थी ☐ शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर ☐ अन्य पेशेवर ☐ कृषि ☐ राजनैतिक/सामाजिक कार्यकर्ता

X - वर्गीकृत नहीं है, तो कृपया उल्लेख करें ☐

13. संस्था का नाम ☐ पदनाम / पेशा ☐

कारोबार की प्रकृति ☐

14. वार्षिक आय (रु. में) ☐ 15. परिसंपत्ति (अनुमानित मूल्य) रु. ☐

16. धर्म ☐ हिन्दू ☐ मुसलमान ☐ ईसाई ☐ सिख ☐ अन्य ☐

17. श्रेणी ☐ सामान्य ☐ अपिव ☐ अजा ☐ अजजा

18. दिव्यांग व्यक्ति नहीं ☐ हाँ ☐ यदि हाँ, ☐ नेत्रहीन ☐ नि:शक्तजन

19. शैक्षणिक योग्यता ☐ नौवीं कक्षा उत्तीर्ण ☐ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ☐ स्नातक पूर्व ☐ स्नातक (सा.) ☐ स्नातकोत्तर (सामान्य)

☐ चिकित्सा स्नातक/स्नातकोत्तर ☐ अभियांत्रिकी स्नातक/स्नातकोत्तर ☐ विधि स्नातक/स्नातकोत्तर

☐ सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/सीएफ़ए ☐ कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/एमसीए ☐ अन्य पेशेवर डिग्री/डिप्लोमा ☐ निरक्षर

20. कृपया लागू बॉक्स पर टिक करें ☐ राजनैतिक रूप से एक्सपोज व्यक्ति ☐ राजनैतिक रूप से एक्सपोज व्यक्तियों से संबंधित ☐ कोई नहीं

(राजनैतिक रूप से एक्सपोज व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हों जैसे कि राज्य के प्रमुख / सरकार, वरिष्ठ राजनेता / वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक / सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक दल के अधिकारी आदि)

21. केवल भारत देश में कर निवास एवं भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र में नहीं * ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि नहीं तो कृपया फटका विवरण फॉर्म-अनुबंध II भरें)

22. पैन ☐ (यदि पैन जमा नहीं किया है तो फॉर्म 60 जमा करें अनुबंध I)

ख) संपर्क विवरण (सभी सूचना उपलब्ध कराये गए मोबाइल नं /ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे)

मोबाइल नं. ☐ ईमेल आईडी ☐

एसटीडी टेलीफोन (कार्यालय) STD ☐

टेलीफोन (निवास) STD ☐

ग) पहचान / पता का प्रमाण (कृपया उचित बॉक्स (किसी भी प्रकार की एक आईडी) पर टिक करें और विवरण दें)*

☐ ए-पासपोर्ट ☐ बी-मतदाता पहचान पत्र ☐ सी-ड्राइविंग लाइसेन्स ☐ डी-आधार नंबर प्राप्त होने का प्रमाण (सत्यापन) ☐ ई-केवाईसी ☐ ऑफलाइन

☐ ई-नरेगा जॉबकार्ड ☐ एफ़-नाम और पते के विवरण सहित राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण के द्वारा जारी किए गए पत्र

दस्तावेज संख्या/पहचान संख्या *

जारीकर्ता

जारी करने की तिथि D D M M Y Y Y Y समाप्ति की तिथि (यदि लागू हो)* D D M M Y Y Y Y

लघु खाते : केवल स्व प्रमाणित फोटोग्राफ

घ) पते का विवरण ☐ वर्तमान ☐ स्थायी ☐ प्रवासी

पते का प्रकार* ☐ आवासीय/कारोबारी ☐ आवासीय ☐ कारोबारी ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्दिष्ट

पता*

शहर/गाँव* जिला*

राज्य* पिन* देश का नाम*

ङ) पते का विवरण ☐ पत्राचार का पता ☐ स्थानीय ☐ वर्तमान/स्थायी पता एक ही है

पते का प्रकार* ☐ आवासीय/कारोबारी ☐ आवासीय ☐ कारोबारी ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्दिष्ट

पता*

शहर/गाँव* जिला*

राज्य* पिन* देश का नाम*

च) आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज (ओवीडी) में वर्तमान पता नहीं है तो नीचे दिए गए दस्तावेजों में से एक दें।

☐ उपयोगिता बिल ☐ पीपीओ/एफपीपीओ ☐ प्रॉपर्टी या नगर निगम टैक्स रसीद

☐ नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र. इसी प्रकार आवास आवंटन का ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव लाइसेंस करार.

☐ स्व-घोषणा (यदि आधार को पहचान के उद्देश्य से स्वेच्छा से प्रदान किया गया है और वर्तमान पता केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजटरी में उपलब्ध पते से भिन्न है तो यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके आधार संख्या का प्रमाणीकरण अनिवार्य है।)

दस्तावेज संख्या दिनांक D D M M Y Y Y Y

छ) घोषणा सह वचन सह स्वप्रमाणन

1. मैं खाता खोलने के लिए दिये गए आवेदन के नियमों एवं शर्तों की प्रति को पढ़ चुका/चुकी हूँ। मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि नियम और शर्तों को मुझे/हमें समझा दिया गया है और मैं नियम और शर्तों को समझ चुका/चुकी हूँ और मुझे ये स्वीकार्य है।
2. मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं पीएमएलए, 2002 के अधीन केवाईसी नियमों के अनुपालन हेतु पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड स्वेच्छा से प्रस्तुत करता/करती हूँ।
3. मैं एतदद्वारा यह सहमति देता / देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई से पहचान प्रमाणित कर सकता है और यूआईडीएआई को स्पष्टतया अधिकृत करता हूँ कि वह बैंक में पहचान और पते के प्रमाणन के लिए बायोमिट्रिक / ओटीपी आधारित प्रमाणन दे सकता है। ☐ हाँ ☐ नहीं (डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार प्रविष्ट करना अनिवार्य है।

फोटो - कृपया अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं. पिन न करें

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
(कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें।)
अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

स्थान दिनांक D D M M Y Y Y Y

ज) कार्यालय उपयोग हेतु ☐ प्राप्त दस्तावेज ☐ स्वप्रमाणित ☐ सत्यापित प्रतिलिपि ☐ नोटरी

i. खाते खोलने की प्रक्रिया के रूप में स्व प्रमाणित और प्राप्त दस्तावेज सत्यापित किए गए और सही पाए गए हैं।
ii. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नियम व शर्तों की प्रति प्राप्त कर ली गई है।
iii. प्रमाणित किया जाता है कि खाता परिचालन के लिए नियम एवं शर्तों को जमाकर्ता को समझाया गया है। (केवल निरक्षर आवेदकों के मामले में)

iv. प्रारंभिक सीमा v. बीआईएस संस्था कोड vi. ग्राहक संवर्ग

vii. जमाकर्ता ☐ निरक्षर ☐ नेत्रहीन ☐ स्टाफ जोखिम श्रेणी* ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

एक या दो पहचान चिन्हों के विवरण, यदि कोई हो जैसे कि तिल या चोट का निशान (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य)

भौतिक रूप से जांच की गई एवं आवेदक के हस्ताक्षर / बाएँ अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया. सीआईएफ खोलने के लिए अनुमत ☐

अधिकारी का नाम पीएफ क्र. पदनाम

दिनांक D D M M Y Y Y Y एसएस क्र. हस्ताक्षर

व्यक्तियों हेतु खाता खोलने का फॉर्म (भाग-II)
(बचत बैंक, चालू खाता और सावधि जमा)
तारांकित चिन्हित (*) अनिवार्य फील्ड हैं। हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का प्रयोग करें।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु) दिनांक D D M M Y Y Y Y

प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी

द्वितीय आवेदक ग्राहक आईडी

खाता संख्या

बैंक/शाखा के नाम और कोड वाली रबर की मोहर लगाएं।

मैं / हम आपसे अनुरोध करता/करती हूँ, कि मेरा / हमारा जमा खाता अपनी शाखा/बैंक में निम्नानुसार खोलें। (संबंधित प्रकार के खातों पर सही (✓) का निशान लगायें।)

क) खाते का प्रकार
☐ बचत बैंक खाता ☐ बीएसबीडीए ☐ बीएसबीडीए लघु खाता ☐ चालू खाता (वैयक्तिक) ☐ सावधि/फ्लैक्सी/आवर्ती ☐ कैप्स गेन (एसबी)

ख) परिचालन का तरीका
☐ स्वयं ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी ☐ कोई भी या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रुप से परिचालित ☐ अन्य________

ग) अपेक्षित सेवाएं
1. एटीएम सह डेबिट कार्ड

प्रथम आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

द्वितीय आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

नाम जिस प्रकार कार्ड पर दिखाई देगा

कार्ड का प्रकार	
प्रथम आवेदक	द्वितीय आवेदक
क) रुपे ☐	क) रुपे ☐
ख) वीजा ☐	ख) वीजा ☐
ग) मास्टर ☐	ग) मास्टर ☐

अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मर्चेन्टों पर लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। कार्ड अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की निष्क्रिय स्थिति के साथ प्रदान किया जाएगा जिसे जब भी आवश्यक हो, उपलब्ध चैनल से सक्रिय किया जा सकता है, संपर्क रहित लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक बिना पिन के किया जा सकता है।

(2 से 6 सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है।)

2. चेक बुक ☐ हाँ ☐ नहीं
(केवल नियमित एसबी/चालू खातों के लिए)
(नियमित बीएसबीडी/लघु खातों के लिए उपलब्ध नहीं)

3. इंटरनेट बैंकिंग अपेक्षित
लेनदेन का अधिकार अपेक्षित है

प्रथम आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

द्वितीय आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

(केवल एकल परिचालित खातों एवं संयुक्त खातों के लिए यदि खाता दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी द्वारा परिचालित है। लेकिन यदि खाता पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी द्वारा परिचालित है तो आईएनबी सुविधा केवल प्रथम आवेदक के लिए उपलब्ध है।)

4. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट ☐ हाँ ☐ नहीं

5. फोन बैंकिंग सेवाएं ☐ हाँ ☐ नहीं

6. मोबाइल बैंकिंग ☐ हाँ ☐ नहीं

7. पासबुक अपेक्षित ☐ हाँ ☐ नहीं
(बचत बैंक खाते के लिए)

8. ई-स्टेटमेंट (मासिक अंतराल पर) पेपर कापी के बदले ☐ अपेक्षित ☐ अपेक्षित नहीं

घ) सावधि जमा : निम्नलिखित उत्पादों / सुविधाओं के लिए कृपया निम्न विकल्प / विवरण प्रस्तुत करें।
☐ मियादी जमा ☐ मियादी जमा (पुनर्निवेश) ☐ टैक्स बचत योजना ☐ कैप्स गेन (टीडीआर)

राशि रु. रु. (शब्दों में)..........

अवधि वर्ष माह दिन

जमाकर्ता(ओं) का नाम निरक्षर जमाकर्ता के मामले में नकदी अधिकारी द्वारा प्रमाणित राशि और जमा की अवधि	नकदी अधिकारी के आद्याक्षर

मियादी जमा के मामले में देय ब्याज* ☐ मासिक ☐ तिमाही ☐ अर्धवार्षिक ☐ वार्षिक

परिपक्वता निर्देश@ ☐ मूलधन के लिए ऑटो नवीनीकरण* एवं ब्याज का भुगतान ☐ मूलधन एवं ब्याज के लिए ऑटो नवीनीकरण* ☐ मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करें

*(नवीनीकरण के दिन प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए ऑटो नवीनीकरण किया जाएगा।)

भुगतान निर्देश (परिपक्वता आगम / शेष राशि)

☐ मेरे बैंक खाता संख्या में जमा करें ☐ बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट जारी करें

ङ) फ्लैक्सी / ऑटो स्वीप
जमा का प्रकार ☐ मियादी जमा ☐ मियादी जमा (पुनर्निवेश) जमा की अवधि .... वर्ष .... माह

मैं / हम एतदद्वारा बचत खाता और चालू खाता के लिए साधारणतया लागू सेवा प्रभारों की वसूली के लिए मेरे / हमारे खाते से डेबिट करने की सहमति देते हैं।
मैं / हम एतदद्वारा बचत खाता और चालू खाता में नियम और शर्तों के अनुसार मेरे / हमारे खाते से फ्लैक्सी / ऑटो स्वीप तैयार करने की अनुमति देते हैं।

लिंक किया गया बचत या चालू खाता संख्या

फ्लैक्सी को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप सुविधा के तहत, फ्लैक्सी को तोड़ा जाए।
* (यदि आवेदक किसी विकल्प का चुनाव नहीं करता है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डिफॉल्ट विकल्प होगा।) ☐ लास्ट इन फर्स्ट आउट

च) ☐ आवर्ती जमा ☐ फ्लैक्सी जमा
☐ मासिक/कोर मासिक किस्त रु. रु.(शब्दों में) ________________ अवधि वर्ष माह

☐ स्थायी अनुदेश (यदि कोई हो) डेबिट खाता संख्या

☐ परिपक्वता पर राशि खाता संख्या में जमा कर दी जाए।

☐ बैंकर चेक / ड्राफ्ट जारी करें अवधि वर्ष माह दिन के लिए एसटीडीआर जारी करें।

उक्त मियादी जमा खाते के लिए, कृपया लागू टीडीएस की कटौती बचत/चालू खाता संख्या से करें

संयुक्त खाते के मामले में, आयकर के प्रावधान केवल प्रमुख / प्रथम खाता धारक के लिए लागू होंगे।

छ) नामांकन (यदि आवश्यक हो तो फॉर्म डीए -I भरें)

फॉर्म डीए -I (नामांकन फॉर्म)

नामांकन का विवरण

पंजीकरण संख्या

बैंक जमा राशियों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड ए और नियमावली के अंतर्गत नामांकन।

मैं/हम .... अपनी/अवयस्क की मृत्यु की दशा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ....

(शाखा/कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि है।) से इस जमा राशि को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति, जिसका विवरण नीचे गया है, को नामित करता हूँ/ करते हैं।

☐ मैं/हम चाहते हैं कि नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक पर मुद्रित किया जाए।

जमा का विवरण

जमा का प्रकार

खाता संख्या

नामिती का विवरण

नाम

नामिती का मोबाइल नंबर

जमाकर्ता के साथ संबंध .... आयु .... वर्ष

नामिती की जन्मतिथि (अवयस्क की स्थिति में) D D M M Y Y Y Y

क्योंकि इस तिथि पर नामिती अवयस्क है अतः मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आयु वर्ष

पता ....

.... को नामिती के अवयस्कता की अवधि में मेरे / अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामिती के बदले जमा की गई राशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता/करती हूँ। (वैयक्तिक के अलावा अन्य के पक्ष में किए गए नामांकन मान्य नहीं है।)

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.	आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.
प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर नाम .... हस्ताक्षर .... पता	द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर नाम .... हस्ताक्षर .... पता ....

(केवल आवेदक के निरक्षर होने और अंगूठा लगाने की स्थिति में साक्षियों की आवश्यकता है।)

दिनांक D D M M Y Y Y Y स्थान ....

☐ मैं/ हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं करना चाहता / ती हूँ / ते हैं

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.	आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

ज) घोषणा पत्र सह वचन पत्र सह स्व प्रमाणन

1. खाता खोलने के लिए मुझे / हमें दिए गए फॉर्म के नियम और शर्तों की प्रति को मैंने/हमने पढ़ लिया है। उक्त नियम और शर्तें मुझे / हमें समझा दी गई हैं और उसे समझकर, मैं/हम उसे स्वीकार करते हैं।
2. (अवयस्क खाते की स्थिति में)
   मैं इस बात की घोषणा करता / ती हूँ की अवयस्क की जन्मतिथि जो मेरा .... हैं और मैं उसका / उसकी स्वाभाविक और वैध अभिभावक हूँ/ न्यायिक आदेश दिनांक............ (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा नियुक्त अभिवावक हूँ। मैं उपरोक्त खाते में किसी भी उल्लेख के सभी भविष्य के लेनदेन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करुंगा / गी जब तक की वह अवयस्क वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता है। मैं उपरोक्त अवयस्क के दावे के विरुद्ध बैंक को उसके खाते में किए गए किसी भी आहरण / लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति करुंगा।
3. (मियादी जमा खातों की स्थिति में लागू - (आवश्यकता न होने पर काट दें।)
   मैं/हम वचन देता/ती/ते हूँ /हैं कि आवेदन-सह जमा रसीद के परिचालन निर्देशों के अनुसार "कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" परिचालन निर्देशों के साथ मियादी जमा के मामले में, समयपूर्व समाप्ति/ भुगतान की अनुमति, या तो जमाकर्ताओं या उत्तरजीवी जैसा मामला हो, दिवंगत जमाकर्ता के उत्तराधिकारी की सहमति के बिना दिवंगत जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, उत्तरजीवी को दे दी जाएगी।
4. मैं इस बात की घोषणा करता / ती हूँ कि मैंने किसी अन्य बैंक के साथ बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं बनाए रखा है। (बीएसबीडीए खातों के लिए लागू)

स्थान ....

दिनांक D D M M Y Y Y Y

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.	आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

कार्यालय के प्रयोग / अनुप्रमाणन हेतु

(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)

खाता खोलें

दिनांक D D M M Y Y Y Y (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

i) इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) किट न.		आद्याक्षर
ii) आईएनबी व्यू अधिकार ☐ लेनदेन अधिकार ☐ देने की तिथि		आद्याक्षर
iii) एटीएम कार्ड डाटा ट्रांसमिटेड दिनांक		आद्याक्षर
iv) नामांकन क्रम संख्या		आद्याक्षर
v) विनिर्दिष्ट (केवाईसी) सीमा		आद्याक्षर
vi) फोन बैंकिंग		आद्याक्षर

	कतार सं.	आद्याक्षर
खाता		
सीआईएफ लिंकिंग		
वैयक्तिक चेक		
आरआईएनबी		
एमबीएस		
एसएमएस अलर्ट		
पोस्टिंग हटाया जाना		
स्कैनिंग		

जमा खाते खोलने के लिए नियम एवं शर्तें

1. मै पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने “बैंक” के नियमों और विनियमों को पढ़ और समझ लिया है और जो बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित हैं। जिसमें डेबिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली-बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएँ शामिल है तथा केवल इन तक सीमित नहीं हैं। मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ जैसा कि बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित/परिवर्तित किये जाते है। तथा परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना बोर्ड/वैबसाइट/समाचार पत्र प्रकाशनों इत्यादि के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं। मैं इन संशोधनों/परिवर्तनों के विषय में व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के अधिकार, यदि कोई हो, को छोड़ता हूँ। मैं सहमत हूँ कि मेरे खाते (तों) में इंटरनेट, मोबाइल, टेली-बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत लेनदेन तथा अनुरोध निष्पादन मुझ पर कानूनन बाध्यकारी होंगे तथा मैं इन मामलों में गोपनीय जानकारी के प्रमाणीकरण तथा अन्य सूचना/विवरण/ओटीपी/पिन इत्यादि की गोपनीयता तथा गुप्तता बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं सहमत हूँ कि बैंक को किसी भी सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देयताओं के लिए मेरे खाते को डेबिट करने के सभी अधिकार हैं, जो कि बैंक मुझसे वसूलने का हकदार/उत्तरदायी हैं। मैं बैंक को यह भी अधिकृत करता हूँ और इसके लिए सहमत हूँ कि मुझे बिना किसी सूचना के मेरा खाता समाप्त/बंद कर दें। (साधारण परिस्थितियों में बैंक खाता बंद करने का कारण बताते हुए 30 दिनों का नोटिस दिए बिना खाता बंद नहीं करेगा।) मैं अपने पत्राचार पते या गठन में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करने का वायदा करता हूँ।
2 आधार विवरण के आधार पर खोले गए खातों के संबंध में. मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन की दिशा में स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है तथा मैं इस बात पर सहमति देता हूं कि बैंक यूआईडीएआई के साथ सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई पहचान और पते बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को स्पष्ट रूप से जारी कर सकता है। मैं एनपीसीआई मैपर के साथ इस खाते को सीड करना चाहता हूं, जिसमें मुझे इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता हूं कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण देय होते हैं, तो मुझे इस खाते में सभी लाभ हस्तांतरण प्राप्त होंगे।
3. मैं पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि मुझे किसी भी लागू कानून /नियामक/संविदा या अन्य प्रावधानों द्वारा खाता खोलने और/या खातों को बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से बैंक के साथ लेनदेन करने से प्रतिबंधित / निषिद्ध/ रोका नहीं गया है।
4. मैं मानता हूं कि मेरे व्यक्तिगत केवाईसी विवरणों को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया जा सकता है। मैं बैंक/सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/ आरबीआई या अन्य किसी प्राधिकरण से मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे किसी भी एसएमएस/ई-मेल की गैर-प्राप्ति पर बैंक किसी भी प्रकृति के नुकसान या क्षाति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. मै प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपनी स्थिति इस विषय में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285 बीए तथा आरबीआई परिपत्र संदर्भ सं. डीबीआर एएमएलबीसी सं. 36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत लागू नियमों तथा इसके पश्चात् आशोधन/संशोधनों, के अनुसार घोषित की है।
6. मैं समझता/स्वीकार करता हूँ तथा प्राधिकृत करता हूँ कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के प्रावधानों तथा इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और / या उसमें निर्धारित किए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम (फटका) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौतों (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) और/ या अन्य समान व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (खातों) के संबंध में विवरण देना होगा।
7. मैं यह प्रमाणित और घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा ऋण खाता खोलने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो मुझ पर लागू हो, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रुप में मेरे द्वारा ऋण खाता खोलने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, मैंने ऐसी किसी भी भौतिक जानकारी को नहीं दबाया है जो मेरे खाते के मूल्यांकन / वर्गीकरण को यू.एस.रिपोर्टिंग खाते या अन्य रिपोर्टिंग खाते को या अन्यथा प्रभावित कर सकता है। यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाए जाते हैं, तो मुझे जानकारी है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
8. मैं यह घोषित करता हूँ कि किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तिथि से 30 दिनों से पहले कोई भी परिवर्तन जो यहां दी गई जानकारी में/या अन्यथा, हो सकता है, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में या यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है या इसमें परिवर्तन होता हैं, तो तुरंत इसका खुलासा करने की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं इसके साथ ही, जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ हालिया और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का वचन देता हूँ, फिर भी यहाँ दी गई सभी घोषणाएँ और वचन मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी आशोधित/संशोधित दस्तावेजों/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक उपरोक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को प्रदान नहीं किये जाते हैं।
9. मैं यह भी मानता हूं कि मेरी जानकारी में अभी या भविष्य में किसी भी भौतिक तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी असफलता या दस्तावेजों/सूचना/अन्य विवरणों में किसी भी कमी को निर्धारित अवधि में दूर करने में मेरी असफलता, मुझे खाते में लेन-देन करने से अमान्य कर सकती है और बैंक को मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी नियामक और/या भारत सरकार (जीओआई)/आरबीआई द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, या बैंक सीबीडीटी/आरबीआई/भारत सरकार द्वार समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत जैसा भी उचित होगा, कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।
10. मैं बैंक को किसी भी अन्य विवरण को प्रस्तुत करने और सूचित करने के लिए सहमत हूं जो मुझे उपरोक्त मामले में या अन्यथा, भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण प्रदान करने के लिए कहा जाता है।
11. मैं बैंक को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति करूँगा, जो बैंक को मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में किसी भी दोष/गलती के कारण या गलत या अपूर्ण सूचना प्रदान करने के कारण हो सकती है।
12. मै केवाईसी विवरणों के अद्यतन के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा वांछित नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ डाटा/सूचना प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।
13. मैं समझता हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक समुचित सावधानी कार्य पूरा करने के बाद ही खाता सक्रिय किया जाएगा तथा डेबिट की अनुमति दी जाएगी।
14. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है, तो मैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तिथि को या उससे पहले पैन जमा करने का वचन देता हूँ, इसमें विफल होने पर धन शोधन निवारण (रिकॉर्डस का रखरखाव) नियम 2005 के अनुसार, तब तक खाता चालू नहीं होगा जब तक पैन जमा नहीं किया जाता है।
15. यदि खाता खोलने के समय वर्तमान पते के लिए मान्य ओवीडी जमा किए गए हैं, तो मैं आधार या ओवीडी में से कोई भी दस्तावेज जिसमें वर्तमान पता है, खाता खोलने की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ, जिसमें विफल होने पर मैं समझता हूं कि मेरे खाते का परिचालन महत्वपूर्ण समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद हो सकता है।
16. मुझे एटीएम कार्ड / चेक बुक सहित आपका स्वागत किट मिला है और समझता हूँ कि किट की सामग्री के दुरुपयोग/गुम होने स्थिति में बैंक किसी भी नुकसान / क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
17. मैं इस बात को प्रमाणित करता हूं कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर - व्यवसाय / गैर - वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन करने के लिए किया जाएगा। इस तरह के लेनेदेन होने की स्थिति में या ऐसे कोई भी लेन - देन वाणिज्यिक / व्यवसायिक / संदिग्ध या अवांछनीय माने जाते हैं, तौ बैंक ऐसे खातों में एकतरफा परिचालन फ्रीज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और / या खाता बंद कर सकता है।
18. मुझे खोले जाने वाले खाते के लिए औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) आवश्यकता के विषय में अवगत कराया गया है और यह समझाया गया है कि ये आवश्यकताएं संशोधन / आशोधन के अधीन हैं और इस तरह के संशोधन / आशोधन बैंक की साइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस बारे में सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
19. मैं पुष्टि करता हूं कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं समझा दी गई हैं (बीएसबीडी खाता आवेदक के लिए)
20. लघु खातों के लिए लागू : मैं समझता हूँ कि यह खाता आरंभ में 12 महीने परिचालन में रहेगा, ओवीडी के लिए आवेदन किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसे आगे और 12 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है। 24 माह के बाद सभी छूट/ प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
21. मुझे सलाह दी गई है कि अगर मैं अपना मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करता हूं, तो मैं एटीएम नकद निकासी के अलावा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा के लिए पात्र नहीं हूँ।
22. (समाज कल्याण लाभ के क्रेडिट के लिए खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता हूं कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता हूं कि यदि मैं इस बीएसबीडी खाते में जारी नहीं रहना चाहता हूं, और नियमित बचत बैंक खाते में जाना जाहता हूं, तो मुझे नियमित बचत बैंक खाते के लिए लागू औसत तिमाही शेष राशि (एक्यूबी) रखनी होगी। इसलिए अगर मैं बीएसबीडी से नियमित बचत बैंक खाते में स्विच करता हूं तो खाते में एक्यूबी बनाए रखने का वचन देता हूँ।
23. (अवयस्कों के नाम पर खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता हूँ कि आवेदक जैसे ही वयस्क होता है, औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) और गैर - रखरखाव के लिए जुर्माना इस खाते में लागू होगा। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि वयस्क होने की तिथि से औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) बनाए रखूँगा।
24. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इनमें से किसी में भी बदलाव होता है, तो मैं इसके बारे में आपको सूचित करने का वचन देता हूँ। उपरोक्त किसी भी मामले में जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाई जाती है तो मुझे जानकारी है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
25. मैं / हम पुष्टि करते हैं एवं वचन देते हैं कि मैं / हम आभासी मुद्राओं में लेनदेन नहीं करुंगा / करेंगे और अभासी मुद्राओं से संबन्धित किसी भी सेवा के लिए अपने खाते का उपयोग नहीं करुंगा / करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं के साथ प्रबंधन या निपटान में सुविधा हो।
26. मैं समझता हूँ कि वित्तीय वर्ष के दौरान 4 बार धन की कमी / अपर्याप्त निधि के कारणे ऋण चुकौती / चेक / एनएसीएच / ईसीएस के अनादर के लिए स्थायी अनुदेश विफल होने की स्थिति में कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी और खाता बंद भी किया जा सकता है।
27. मैं/ हम पुष्टि करते हैं कि उत्पाद की विशेषताओं को मुझे/ हम समझा दिया गया है।
28. मैं बचत बैंक खाते के नियम एवं विनियमों की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।
29. मै सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से अपनी पहचान और पते के सत्यापन मात्र के उद्देश्य से, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसी) से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति देता / देती हूं.

आवेदकों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.	आवेदकों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

पावती डीए -1

हम आपके द्वारा दिए गए नामांकन की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। दिनांक :

नामिती का नाम .... आयु.............. वर्ष ....

भवदीय :

आपके खाता संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | के संबंध में

पंजीकरण क्र. | | | | | | | | | | | |

सील के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

बचत बैंक खाता खोलने के नियम (संक्षिप्त जानकारी)

अपने ग्राहक को जानने संबंधी दिशानिर्देश : खाता खोलने की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो कर बचत बैंक खाता खोल सकता हैं, बशर्ते वह बैंक द्वारा अपेक्षित पाहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

नामांकन और उत्तरजीविता सुविधा : बचत बैंक खातों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे विषम परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावे के सुगम निपटान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएं। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते हैं, तो यह तथ्य उनके पूर्ण हस्ताक्षर के तहत खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरजीवी लाभ के साथ संयुक्त खाते को उत्तरजीवी द्वारा संचालित किया जा सकता है।

खातों के प्रकार, शेष निर्धारण मानक और सेवा प्रभार : आवेदक चेकबुक सुविधा के साथ या चेकबुक के बिना भी खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान तिमाही औसत शेष के लिए मानक निर्धारित हैं और न्यूनतम शेष के रख-रखाव न होने पर प्रभारित किए जाने वाले निर्धारित शुल्क, बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शाखाओं से भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवयस्क खातों को छोड़कर बचत बैंक खाता के अधिकतम शेष पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

अवयस्क खाता: ऐसे अवयस्क जो एकरूप हस्ताक्षर कर सकते हैं एवं उनकी आयु 10 वर्ष से कम नहीं हैं, वे शाखाओं में अपने एकल नाम से खाते खोल सकते हैं और अपने खाते में अधिकतम 10,00,000/- (रु. दस लाख) तक का शेष रख सकते हैं। अवयस्क अपने अभिभावक के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

खाता कैसे खोलें ? : सामान्य तौर पर, आवेदक(कों) को खाता खोलने की औपचारिकता पूरी करने के लिए व्यक्तिगत रुप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत रुप से भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। आवेदनकर्ता को केवाईसी दस्तावेज, आरबीआई/सीबीडीटी के अनुसार लागू घोषणापत्र और अपनी हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। आवेदक ऑनलाइन भी खाता खोल सकता है। खाताधारक के हस्ताक्षर पठनीय एवं सुस्पष्ट होने चाहिए। हस्ताक्षर ब्लॉक/बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशिष्ट खाता संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ व्यवहार करते समय, यह संख्या खाताधारकों द्वारा हमेशा उद्धत की जानी चाहिए। खाताधारकों से उनके हित में यह अपेक्षा की जाती है कि खाते का परिचालन करते समय या बैंक के साथ पत्राचार करते समय बैंकों के रिकॉर्ड में दर्ज नमूने हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर करें।

पास बुक : खाताधारक को आपूर्ति की गई पासबुक और चेक बुक को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस संबंध में खाताधारकों की उपेक्षा के कारण बैंक किसी भी नुकसान या गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण/निकासी फार्म के माध्यम से नकदी निकालने के लिए, पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए। पासबुक के बिना चेक और डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकासी की जा सकती है। बिना पासबुक के भी नकदी जमा की जा सकती है। पास बुक को नियमित रुप से अद्यतन किया जाना चाहिए। लेन-देन पूरा होने के तुरंत बाद पासबुक को अद्यतन कर खाताधारक को वापस कर दी जाएगी। यदि एक सप्ताह के भीतर इसे नहीं लिया जाता है तो ग्राहक की लागत पर पंजीकृत ए.डी पोस्ट/कूरियर द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। खाताधारकों को अपनी पासबुक में प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और किसी भूल चूक यदि कोई है तो इसे बैंक के ध्यान में लाना चाहिए। खोई हुई या कटी-फटी पासबुक के बदले में आवश्यक पूछताछ, औपचारिकताओं को पूरा करने और निर्धारित शुल्क की वसूली के बाद खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर डुप्लीकेट पासबुक जारी की जा सकती है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक: बैंक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पहली चेक बुक जारी करेगा। बैंक लागू शुल्कों की वसूली के बाद चेक बुक जारी करेगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाताधारकों को केवल बैंक द्वारा जारी चेक बुक से चेक का उपयोग करना चाहिए। किसी भी चेक के अन्यथा भुगतान से इंकार करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। आमतौर पर, बैंक एक बार में या पहले जारी किए गए सभी या लगभग सभी चेक लीफ को समाप्त करने से पहले एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा। चेक को सुस्पष्ट रुप से लिखा जाना चाहिए। जारी किए गए या खोये चेक का भुगतान रोकने संबंधी निर्देश बैंक को निर्धारित सेवा प्रभार का भुगतान कर पंजीकृत कराया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्यत: बचत बैंक खाता अनिवार्य रुप से बचत करने की सुविधा है और इसलिए इसे चालू खाते के रुप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक को यदि लगता है कि खाता धारकों ने अपने खाते का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे अनुमति नहीं है तो बैंक खाता बंद कर सकता है।

जमा : बचत बैंक खाते में एक माह में केवल तीन बार निशुल्क नकद जमा लेनेदेन की अनुमति है। रु. 10 से कम कोई भी नकद जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल खाताधारक के पक्ष में आहरित चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत खाताधारक के खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। खाताधारक के पक्ष में पृष्ठांकित तृतीय पक्ष लिखत स्वीकार नहीं होंगे, लिखतों के सापेक्ष किसी भी आहरण की सामान्यतया अनुमति नहीं है जब तक इनकी उगाही नहीं हो जाती है। संतोषजनक ढंग से परिचालित खातों में बाहरी / स्थानीय लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। सामान्य वसूली एवं आउट ऑफ पॉकेट शुल्क वसूला जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान सीमा एवं शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिदेय ब्याज की वसूली उन लिखतों के लिए भी की जाएगी जिन्हें भुगतान न होने पर बाद में लौटा दिया गया था।

निकासी : खाताधारक बैंक के मानक निकासी फॉर्म का उपयोग कर व्यक्तिगत रुप से अपने सामान्य बचत बैंक खाते से पैसा निकाल सकता है। पासबुक / कोई भी ओवीडी आहरण फॉर्म के साथ होना चाहिए। निकासी फॉर्म का उपयोग केवल खाताधारक द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का उपयोग कर एटीएम में नकद निकासी के लिए किया जा सकता है। खाताधारक रु. 50 से कम की राशि आहरित नहीं कर सकते हैं। सभी निकासी केवल पूर्ण रुपए में होनी चाहिए। निकासी फॉर्म के माध्यम से तीसरे पक्ष को भुगतान की अनुमति नहीं है। यदि खाताधारक व्यक्तिगत रुप से अपने खाते से राशि आहरित करने में असमर्थ है तो पासबुक सहित निर्धारित प्राधिकार पत्र के माध्यम से बैंक में खाते से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकते हैं। प्रति चेक फॉर्म की न्यूनतम आहरण सीमा रु 50 है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बीमार, वृद्ध या अक्षम खाताधारक जो बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं और/या अपने हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाने में सक्षम नहीं हैं, तो निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करके नकद आहरण किया जा सकता है।

ओवरड्राफ्ट: बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति केवल पूर्व व्यवस्था के साथ असाधारण परिस्थितियों में उनके खाते से दी जा सकती है। खाते में शेष राशि से अधिक आहरित चेक बिना भुगतान किये लौटा दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव में चेक वापस लौटाए जाने पर प्रत्येक बार सेवा प्रभार वसूल किये जाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

निष्क्रिय खाते : खाताधारकों को अपने खाते नियमित रुप से संचालित करने की सलाह दी जाती है। पिछले परिचालन से 24 माह की निर्धारित समयावधि के बाद संचालित नहीं किए गए खातों को निष्क्रिय खाते के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में मौजूदा निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुदेश: सेवा प्रभार के भुगतान पर खाताधारक अपने खाते से नामे करते हुए बैंक से बीमा शुल्क, सदस्यता शुल्क इत्यादि के आवधिक भुगतान के लिए अनुरोध कर सकता है। स्थायी अनुदेश के लिए मौजूदा निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान : समय-समय पर लागू आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज की गणना दैनिक गुणनफल के आधार पर की जाएगी। ब्याज को तिमाही अंतराल पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह रु 1/- या इससे अधिक है। पचास पैसे और अधिक को अगले पूर्ण रुपए में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा और कम को नजरंदाज कर दिया जाएगा। यदि कोई खाता प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा फ्रीज किया गया है तो बैंक उस खाते में नियमित रुप से ब्याज देता रहेगा।

हस्तांतरण और खाता बंद करना : खाताधारक के अनुरोध पर खातों को बैंक की शाखाओं के बीच हस्तांतरित किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध के साथ खाता बंद होने का कारण दिया जाना चाहिए। इस तरह के अनुरोध के साथ पासबुक अवश्य होनी चाहिए। सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही संयुक्त खाते बंद किए जा सकते हैं। यदि खाता खोलने के एक वर्ष के भीतर बंद किया जाता है, तो निर्धारित दर पर सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातों को ऑनलाइन भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

नियमों में बदलाव : बैक इनमें से किसी भी नियम और सेवा शुल्क को बदलने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और / या शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

बीएसबीडीए खाते की विशेषताएं :

1. बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम पर नकद जमा करना
2. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा जमा किए गए चेक के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन की प्राप्ति/क्रेडिट।
3. माह में किए जाने वाले जमा की संख्या और मूल्य की कोई सीमा नहीं।
4. एटीएम निकासी सहित अधिकतम 4 निकासी
5. एटीएम कार्ड या एटीएम सह डेबिट कार्ड

सेवा प्रभार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट का संदर्भ लें।

आवेदकों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.	आवेदकों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.

अनुबंध -1

आय-कर नियम 1962

प्रारुप सं 60

(नियम 114 बी का दूसरा प्रावधान देखें)

उस व्यष्टि या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा दाखिल किए जाने वाले घोषणा पत्र का प्रारुप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और जो नियम 114 बी में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है।

1	प्रथम नाम		मध्य नाम		उपनाम	
2	जन्म-तिथि/निगमन की तारीख	D D M M Y Y Y Y				
3	पिता का नाम (व्यक्तियों के लिए)					
4	फ्लैट सं. / तल सं.					
5	परिसर का नाम / ब्लॉक का नाम एवं सं.					
6	रोड / गली / लेन					
7	क्षेत्र / मोहल्ला					
8	नगर / जिला / राज्य					
9	पिन कोड					
10	टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड सहित)					
11	मोबाइल संख्या					
12	लेनदेन की राशि (रु. में)					
13	लेनदेन की तिथि	D D M M Y Y Y Y				
14	संयुक्त नाम से लेनदेन होने की दशा में,लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या					

15	लेनदेन का माध्यम	नगद	चेक	कार्ड	ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	ऑनलाइन अंतरण	अन्य

16 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है) :

17 यदि स्थायी लेखा संख्या (पैन) के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक नहीं बना है, तो आवेदन की तिथि और पावती संख्या :__________ तिथि __________

18 यदि स्थायी लेखा संख्या (पैन) के लिए आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में लेनदेन किया गया है उस वर्ष की कुल अनुमानित आय (जिसमें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति/पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है।) भरें।
(क) कृषि आय रु.__________ (ख) कृषि के अतिरिक्त आय रु.__________

19	मद सं 1 में वर्णित पहचान की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के ब्यौरे (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ पहचान संख्या	दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
20	मद सं 4 से 9 में वर्णित पते की पुष्टि के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के ब्यौरे (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ा पहचान संख्या	दस्तावेज़ा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

सत्यापन

मैं ____________________ यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि जो कुछ भी ऊपर वर्णित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या (पैन) नहीं है और उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया जाता है आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों की गणना के अनुसार मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति / पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है।) कर प्रभार्य आय की अधिकतम छूट की राशि से कम होगी।

आज तिथि ________ माह ________ 20 ______ को सत्यापित किया जाता है।

स्थानः (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को स्वंय संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्रारुप में दी गई जानकारी सत्य है सही है और सभी तरह से पूर्ण है। घोषणा पत्र में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंड का भागी होगा।

(i) वैसी स्थिति जिसमें अपवंचन के लिए कर रुपए पच्चीस लाख से अधिक होता है के लिए सश्रम कारावास छह माह से कम नहीं होगा और जुर्माने सहित सात वर्ष तक का हो सकता है।

(ii) किसी अन्य मामले में सश्रम कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन जिसे जुर्माने सहित दो वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है।

2. घोषणा पत्र स्वीकार करने वाला व्यक्ति घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 18 ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जिसपर कर प्रभार्य नहीं है तब जब कि स्थायी लेखा संख्या (पैन) हेतु आवेदन न किया गया हो और स्तंभ 17 विधिवत रुप से न भरा गया हो।

अनुदेश :

(1) पहचान और पते के पुष्टिकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 16 भरा गया है तो अपेक्षित नहीं हैं।

क्र. सं.		दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेज कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क		वैयक्तिक एवं एचयूएफ़ हेतु			
	1	आधार कार्ड	01	हां	हां
	2	बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति की फोटो हो	02	हां	हां
	3	मतदाता पहचान पत्र	03	हां	हां
	4	राशन / सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति की फोटो हो	04	हां	हां
	5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
	6	पासपोर्ट	06	हां	हां
	7	पेंशन भोगी फोटो कार्ड	07	हां	हां
	8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
	9	जाति या अधिवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति की फोटो हो	09	हां	हां
	10	प्रारुप 49 क में उल्लिखित अनुबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र	10	हां	हां
	11	प्रारुप 49 क में उल्लिखित अनुबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
	12	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
	13	शस्त्र लाइसेंस	13	हां	नहीं
	14	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
	15	सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
	16	बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
	17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
	18	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
	19	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाइप का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
	20	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
	21	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
	22	डिपाजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
	23	संपत्ति रजिस्ट्री दस्तावेज	23	नहीं	हां
	24	सरकार से प्राप्त आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
	25	जीवन साथी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
	26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख		व्यक्तियों का संघ (न्यास) के लिए			
		न्यास विलेख की प्रति या चॅरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति	**27**	हां	हां
ग		व्यक्तियों का संघ (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			
		समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति को जारी पहचान और पते के प्रमाण का कोई अन्य दस्तावेज	**28**	हां	हां

(2) किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन होने की दशा में ऐसे अवयस्क के माता-पिता या अभिभावक का उपर्युक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अवयस्क की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और अवयस्क के घोषणा पत्र को माता-पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) हिंदु अविभाजित परिवार के लिए हिंदु अविभाजित परिवार के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा।

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर लेनदेन होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्या 14 में वर्णित की जाएगी और लेनदेन की कुल रकम क्रम संख्या 12 में भरी जाएगी।

स्तंभ 18 ख में अनुमानित आय कर प्रभार्य अधिकतम आय में छूट से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 17 भरना होगा और आवेदन प्रस्तुत करने का प्रमाण देना होगा।

अनुबंध -2

संबंधित व्यक्ति के विवरण (अवयस्क के लिए भरा जाए)

ग्राहक आईडी ☐ सीकेवाईसी क्र. ☐

खाता सं. ☐

नाम ☐ FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

☐ संबंधित व्यक्ति को जोड़ना ☐ संबंधित व्यक्ति को हटाना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (यदि उपलब्ध है)* ☐

संबंधित व्यक्ति का प्रकार ☐ अवयस्क के अभिवावक ☐ समनुदेशिती ☐ प्राधिकृत प्रतिनिधि

नाम ☐ FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

उपाधि (यदि, केवाईसी सं और नाम उपलब्ध है, निम्नलिखित विवरण वैकल्पिक है।)

संबंधित व्यक्ति के पहचान का प्रमाण (पीओआई)

- ☐ क. पासपोर्ट
- ☐ ख. मतदाता पहचान पत्र
- ☐ ग. ड्राइविंग लाइसेन्स
- ☐ घ. यूआईडी (आधार)
- ☐ ङ नरेगा जॉबकार्ड
- ☐ च. नाम और पता सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र
- ☐ छ अन्य (केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज)

दस्तावेज क्र./पहचान क्र. ☐

जारी करने की तिथि DDMMYYYY समाप्ति की तिथि (यदि लागू हो)* ☐

टिप्पणी:

फटका घोषणा पत्र

ग्राहक आईडी ☐ सीकेवाईसी क्र. ☐

खाता सं. ☐

नाम ☐ FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

उपाधि

नागरिकता ☐ भारतीय ☐ अन्य देश का नाम ☐

जन्म स्थान/शहर ☐ जन्म का देश ☐

पता ☐

शहर/गाँव ☐ जिला ☐

राज्य ☐ पिन* ☐

एकाधिक कर निवासी : भारत में और या यूएस में, और/ या अन्य किसी देश में या भारत से बाहर किसी क्षेत्र में निम्नवत हैं:

कर निवास का देश	अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया कर पहचान सं या समतुल्य	पहचान का प्रकार (टिन या अन्य कृपया स्पष्ट करें।)

@
- यूएस में जन्मे लेकिन अन्य देश में निवास करने वाला व्यक्ति सहित यूएस का नागरिक (जिन्होंने यूएस की नागरिकता का त्याग नहीं किया है)।
- यूएस ग्रीन कार्ड धारक सहित यूएस में रहने वाला व्यक्ति
- कतिपय व्यक्ति जो यूएस में प्रतिवर्ष 180 दिन से अधिक व्यतीत करते हैं।

अधिकार क्षेत्र/ देश में पता जहां आवेदक भारत से बाहर कर उद्देश्य के लिए निवास करता है।

पता ☐

शहर/गाँव ☐ जिला ☐

उप जिला ☐ राज्य ☐

देश का नाम ☐ जिप/पोस्ट कोड ☐

स्थान :

दिनांक :

आवेदकों के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

अवयस्क खाते के मामले में जिनका परिचालन माता-पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, माता-पिता / अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए.